रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29112024-259023
CG-DL-E-29112024-259023

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 679] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 29, 2024/अग्रहायण 8, 1946
No. 679] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 29, 2024/AGRAHAYANA 8, 1946

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2024

सा.का.नि. 738(अ).— केंद्रीय सरकार, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण में बहु-कार्य कर्मचारीवृंद के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली विकास प्राधिकरण, बहु-कार्य कर्मचारीवृंद, (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये भर्ती नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर – उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर, वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि - भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. प्रारंभिक गठन- बहु-कार्य कर्मचारीवृद के पद पर आसीन पदधारियों, जिन्हें इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व दिल्ली विकास प्राधिकरण के संकल्प संख्या 63/2017, तारीख 20 नवंबर, 2017 द्वारा नियमित आधार पर उक्त पद पर नियुक्त किया गया था, द्वारा की गई सेवा को परिवीक्षा, पुष्टिकरण, प्रोन्नति आदि के प्रयोजनों के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

6. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वालों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
बहु-कार्य कर्मचारीवृंद	1731* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग', अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 1 (18000 रु. - 56900 रु.)	लागू नहीं होता।	18 से 27 वर्ष की आयु के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। **टिप्पण:** आयु-	आवश्यक: किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण; या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से औद्योगिक प्रशिक्षण

					सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला और पांगी उपखंड तथा लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	संस्थान उत्तीर्ण।

क्या सीधे भर्ती किए जाने वालों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा /प्रतिनियुक्ति, आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	दो वर्ष । टिप्पणी: केंद्रीय सरकार द्वारा विहित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य	लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	लागू नहीं होता।

	पूरा करने के लिए सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के अधीन अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी:- (क) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हो; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों।		1.निदेशक(कार्मिक) - अध्यक्ष; 2. उप मुख्य लेखा अधिकारी - सदस्य; 3. उप निदेशक (कार्मिक) –IV -सदस्य; 4. उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधि -सदस्य।	

[फा. सं. के.-11011/02/2024-डीडी-II]

डी. तारा, अपर सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2024

G.S.R. 738(E).— In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of section 56 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Multi-Tasking Staff in Delhi Development Authority, Ministry of Housing and Urban Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement**.- (1) These rules may be called the Delhi Development Authority, Multi-Tasking Staff (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix**.- The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**- No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. **Initial constitution**.- The service rendered by the incumbents holding the post of Multi-Tasking Staff who were appointed on regular basis *vide* Delhi Development Authority's Resolution No. 63/2017, dated the 20th November, 2017 to the said post before the commencement of these rules, shall be taken into account for the purpose of probation, confirmation, promotion, etc.

6. **Power to relax**. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Multi-Tasking Staff.	1731* *Subject to variation dependent on workload.	Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900).	Not applicable	Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for the departmental candidates upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from the candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	Essential: 10th class pass from a recognised board or institute; or Industrial Training Institute pass from a recognised institute.

Whether age	Period of	Method of	In case of	If a Departmental	Circumstances in

and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	probation, if any.	recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	Promotion Committee exist, what is its composition.	which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years. **Note**: There shall be a mandatory induction training for direct recruits of at least two weeks duration for successful completion of the probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment. **Note**: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government.- (a) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Director (Personnel) - Chairperson; 2. Deputy Chief Accounts Officer - Member; 3. Deputy Director (Personnel)-IV - Member; 4. Representative for Scheduled Castes or Scheduled Tribes to be nominated by Vice-Chairman, Delhi Development Authority -Member.	Not applicable.

[F. No. K-11011/02/2024-DDII]

D. THARA, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA